

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:-

दिनांक:-

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :- लिलो 220 के0भी0 एस0/सी0 टी0टी0पी0एस0 गोविन्दपुर से जैनामोड़ तक
ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 34.739 हे0 वनभूमि अपयोजन के
प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1268 दिनांक 13.09.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची के
पत्रांक FP/JH/Trans/40558/2019/4697 दिनांक 22.06.2021 द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर कुल 7
बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त निराकरण के जाँच के क्रम
में निम्नांकित कमियाँ पाई गई:-

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा अपलोडेड पार्ट-II निर्धारित Format में नहीं है। यह
Format (Hand Book) के पृष्ठ सं0 22 एवं 23 पर उपलब्ध है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित Format Form A- पार्ट-I में अभियुक्ति दर्ज कर सभी
अनुलग्नको के साथ Web site पर अपलोड किया गया है। परन्तु सभी अनुलग्नको का
Hard copy अनुपालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कमियों को निराकरण करते हुये भारत सरकार द्वारा
पृच्छित बिन्दुओं का पूर्ण एवं बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन सभी अनुलग्नको के साथ शीघ्र समर्पित
करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1184

दिनांक 27.9.21

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अचल, बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बोकारो/M/S JUSNL, कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन (विद्युत) प्रमंडल धनबाद को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. S. S.
27.9.21